ई–मेल

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 30(1)खा.वि./केरोसीन/आवंटन./18 जयपुर, दिनांक : 23.04.2018

विशेष परिस्थितियों के लिए केरोसीन आवंटन

विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से प्रति वर्ष मौसमी /जलजनित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एम.एल.ओ. घोल तैयार करने व पाग्रेरेथ्रेम स्प्रे का घोल तैयार करने के लिए केरोसीन की मांग प्राप्त होती है। इस हेतु प्रति वर्ष जिलों की आवश्यकतानुसार केरोसीन का आवंटन किया जाता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 20.03.2018 के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन वितरण व्यवस्था में शिथिलता प्रदान करते हुए **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए** संबंधित जिलों के जिला कलक्टर्स को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग के अनुसार विशेष परिस्थितियों हेतु वांछित मात्रा का आवंटन किए जाने हेतु कार्यकारी निदेशक एवं राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., जयपुर को केरोसीन आवंटन की अनुशंषा प्रेषित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कार्यकारी निदेशक एवं राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. जयपुर जिला कलक्टर की अनुशंषा के आधार पर अपेक्षित मात्रा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलों को उपरोक्त विशेष परिस्थितियों के लिए जारी किये जाने वाला केरोसीन आवंटन भारत सरकार से राज्य को प्राप्त मासिक आवंटन के अध्यधीन (मासिक आवंटन की मात्रा से अधिक नहीं) ही होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त विशेष आवंटित करोसीन मात्रा प्राप्त कर तत्समय प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन का मूल्य संबंधित ऑयल कम्पनी के थोक विक्रेता को भुगतान करेंगे। प्राप्त की गई मात्रा तथा किये गये भुगतान की सूचना आपूर्ति प्राप्त होने के 07 दिवस में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

यह ज्ञात रहे कि केरोसीन भारत सरकार द्वारा अनुदानित दर पर राज्य को उपलब्ध कराया जाता है। अतः उक्त विशेष परिस्थितियों के लिए किये गये केरोसीन के आवंटन का उपयोग केवल मौसमी/जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु अत्यन्त किफायत से किया जाना चाहिए।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

23/04/18.

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त (द्वितीय)

D:\virendra\Data\2018\kerosene allotment order 26

क्रमांक एफ 30(1)खा.वि./केरोसीन/आवंटन./18 जयपुर, दिनांक : 23.04.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अ.शा. पत्र क्रमांकः 228 दिनांक 20.03.2018 के क्रम में प्रेषित है।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य विभाग, जयपुर।
5. श्री रवीन्द्र गर्ग, कार्यकारी निदेशक, एवं राज्य स्तरीय समन्वयक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0. जयपुर को भेजकर लेख है कि **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए** जिला कलक्टर की अनुशंषा के आधार पर आवंटित केरोसीन जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें। उपलब्ध करायी गयी केरोसीन की मात्रा की सूचना विभाग को भिजावें।
6. संबंधित सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की मांग के अनुसार केरोसीन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि कार्यकारी निदेशक, एवं राज्य स्तरीय समन्वयक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0. जयपुर आवंटित केरोसीन मात्रा प्राप्त करें तथा तत्समय लागू प्रति लीटर दर के अनुसार संबंधित ऑयल कम्पनी के थोक विक्रेता को भुगतान करावें। प्राप्त की गयी मात्रा तथा किये गये भुगतान की सूचना विभाग को आपूर्ति प्राप्त होने के सात दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, खाद्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विशेष आवंटन को केरोसीन पोर्टल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के लिए सम्मिलित करें।
10. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

23/04/18.

उपायुक्त (द्वितीय)